विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 32 दिनांक : 30/5/17

प्रति,

प्राचार्य
गुरु द्रोण शिक्षा महाविद्यालय,
टोंकखुर्द जिला–देवास।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक / 123,दिनांक 07.04.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय / कोर्स / सीट संख्या वृद्धि की जाने / सम्बद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.05.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि,गुरु द्रोण शिक्षा महाविद्यालय,(नवीन)टोंकखुर्द जिला–देवास में सत्र 2017–18 से बी.एड. प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017--18 से बी.एड. प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम की सम्बद्धता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित इंगित कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर नितांत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाये।

उक्त बैठकों के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017--2018 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है :–

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.एड.–प्रथम वर्ष	50

शर्ते :–01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.05.2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।

02 परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत चयन की प्रक्रियानुसार प्राचार्य एवं शिक्षकों के चयन अनिवार्य रूप से कराना होगा, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जायेगा।

03 पुस्तकालय में पाठ्यक्रम से संबंधित 600 पुस्तकों का क्रय नवीन सत्र से पूर्व करें।

04. कम्प्यूटर प्रयोगशाला के लिए 08 कम्प्यूटर मय प्रिन्टर और क्रय करें।

05. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 28(3) (1) के अनुसार रु 25,000/– (अक्षरी पच्चीस हजार रुपये मात्र) की इण्डोमेंट फण्ड की धनराशि की एफ.डी. कुलसचिव,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन एवं प्राचार्य के संयुक्त नाम से बनाकर मूल एफ.डी. विश्वविद्यालय लेखा विभाग में जमा करें। यदि उपरोक्तानुसार एफ.डी.आर. पूर्व में जमा करा दी गई है तो उसकी प्रति प्रस्तुत करें।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें,अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)

कुलसचिव

निरंतर...02